अनुलग्नक -1

<u>एनबीएफसी के निदेशकों के लिए 'सक्षम और उचित' मानदंड</u>

रिजर्व बैंक ने 'बैंकों / वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की सलाहकार समूह की रिपोर्ट' के आधार पर जून 2004 में बैंकों के बोर्ड पर नियुक्त करने से पहले व्यक्तियों की उचित जांच पर बैंकों को एक निर्देश जारी किया था। निदेशको द्वारा पूरे किए जाने वाले द्वारा विशिष्ट 'सक्षम और उचित' मापदंड को भी सूचित किया गया था।

2. निदेशकों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा की उचित जांच के महत्व को किसी भी वित्तीय संस्था के लिए को नकारा नहीं जा सकता है। इन्ही दिशा-निर्देशों को एनबीएफसी के मामले में भी यथोचित परिवर्तन सहित लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि रिजर्व बैंक एनबीएफसी को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निदेशकों की उचित जांच करता है किन्तु इसे एनबीएफसी द्वारा एक सतत आधार पर आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के रूप में रखना आवश्यक है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने और उचित जांच मे एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि वे बोर्डों पर नियुक्त करने से पहले निम्नांकित प्रक्रियाओं और व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मापदंड का पालन करें:

(ए) एनबीएफसी को एक निदेशक के रूप में बोर्ड पर नियुक्ति के पहले व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा और अन्य 'सक्षम और उचित' मापदंड के आधार पर उचित जांच प्रक्रिया करनी चाहिए । एनबीएफसी को अनुबंध - 2 में दिए गए प्रारूप में इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त करना चाहिए।

(बी) उचित जांच प्रक्रिया नियुक्ति के समय / नियुक्ति नवीकरण के समय एनबीएफसी द्वारा किया जाना चाहिए।

(सी) एनबीएफसी के बोर्ड द्वारा घोषणाओं की जांच के लिए नामांकन समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

(डी) हस्ताक्षर किए घोषणा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समितियों को निदेशकों के बारे में जहां भी आवश्यक हो, स्वीकृति पर या अन्यथा फैसला करना चाहिए।

(ई) एनबीएफसी को प्रतिवर्ष 31 मार्च को निदेशकों से एक साधारण घोषणा प्राप्त करना चाहिए जिसमे उल्लेख हो कि पहले से ही उपलब्ध कराई गई जानकारी में परिवर्तन नहीं आया है और जहा भी बदलाव आया है, वहां अपेक्षित विवरण तत्काल उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(एफ़) एनबीएफसी को जनता के हित में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड में मनोनीत / निर्वाचित निदेशक अनुलग्नक-3 में दिए गए प्रारूप में सहमति की डीड निष्पादित करें।

******